



विकलांगों की सहायता करने के लिए रोजगार को
अधिकतम सीमा तक बढ़ाना

“ यह विचार कि कुछ लोगों के जीवन का मोल कम है
ही इस दुनिया में होने वाले सभी गलत कार्यों का मूल
कारण है।“

- डॉ. पॉल फार्मर

एमईएसएच की उचित व्यापार तथ्य पत्रिका:

गैर-भेदभाव, लिंग समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संघ बनाने की स्वतन्त्रता के प्रति
प्रतिबद्धता

उचित व्यापार संगठन भर्ती , पारिश्रमिक, प्रशिक्षण तक
पहुँच, पदोन्नति, सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति में नस्ल , जाति,
मूल राष्ट्रीयता , धर्म, विकलांगता, लिंग अभिविन्यास , संघ
सदस्यता, राजनीतिक संबंधता , एचआईवी/एड्स की स्थिति या
आयु के आधार पर भेद-भाव नहीं करता है। संगठन

महिलाओं और पुरुषों को अपने कौशल के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है रोजगार रिक्तियों और संगठन
में नेतृत्व से जुड़े पदों के लिए महिलाओं के आवेदनों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। उचित व्यापार समूह
गर्भवती महिलाओं व स्तनपान करने वाली माताओं की विशेष स्वास्थ्य व सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में
रखता है। उत्पादन प्रक्रिया द्वारा एकत्र लाभ के उपयोग संबंधी निर्णयों में महिलाएँ पूरी तरह से भागीदारी करती
हैं।



संगठन कर्मचारियों के किसी भी उनकी पसंद के कर्मचारी संगठन के गठन व उसमें शामिल होने व समूहिक रूप
से सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है। संगठन सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को
कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार के भेद-भाव का सामना न करना पड़े।

उत्पादकों के साथ काम करने वाले समूह यह सुनिश्चित करते हैं की महिलाओं को उत्पादन प्रक्रिया में उनके
योगदान के लिए भुगतान मिले और जब महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करती हैं तो उन्हें पुरुषों जितनी दर पर
ही भुगतान दिया जाए। संगठन यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन की ऐसी स्थितियों में जहां महिलाओं के

कार्य को पुरुषों की तुलना में कम आँका जाता है वहाँ महिलाओं के कार्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाए ताकि वेतन दरों में समानता लाई जा सके और महिलाओं को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाए।



सिद्धान्त छह के आधार पर उत्पादक समूहों की निगरानी निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार की जाती है:

अनुपालन मापदंड	संकेतांक जो दर्शाते हैं कि आप लागू कर रहे हैं :
नियोजन प्रथाएँ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ संगठन के पास लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट नीति और योजना है जिससे सुनिश्चित किया जा सके महिलाओं व पुरुषों दोनों में यह योग्यता आए कि वे उन संसाधनों तक पहुँच सकें जो उनकी उत्पादकता के लिए आवश्यक हैं व साथ ही उनमें वह योग्यता भी आए जिससे वे अपनी जीविका व ज़िंदगी को आकार देने वाले व्यापक,नियामक व संस्थागत पर्यावरण को प्रभावित कर सकें। ◆ संगठन को भर्ती,पारिश्रमिक,प्रशिक्षण तक पहुँच, पदोन्नति,सेवा समाप्ति या सेवानृवित्ति में नस्ल,जाति, मूल राष्ट्रीयता,धर्म,विकलांगता,लिंग अभिविन्यास ,संघ सदस्यता,राजनीतिक संबंधता,एचआईवी/एड्स की स्थिति या आयु के आधार पर भेद-भाव नहीं भेद-भाव नहीं करना चाहिए। ◆ महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समूह गर्भवती महिलाओं व स्तनपान करने वाली माताओं की विशेष स्वास्थ्य व सुरक्षा आवश्यकताओं का ध्यान रखता है।

- समूह सभी कर्मचारियों के उनके पसंदीदा कर्मचारी संगठन के गठन व उसमें शामिल होने व सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने के अधिकार का सम्मान करता है। संगठन सुनिश्चित करता है की कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कार्य स्थल पर किसी का भेद-भाव न किया जाए।



संदर्भ:

<http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>

<http://www.l-arka.org/node/735>

शुभेच्छा सहित,
एमईएसएच